

कार्यालय कलेक्टर जिला गरियाबंद (छ.ग.) एवं पदेन उपसचिव छ0ग0 शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

// प्रारंभिक अधिसूचना //

गरियाबंद, दिनांक 04/08/2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/वर्ष 2017-18 ::

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कालम (01) से (05) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कालम (07) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद द्वारा अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सर्वसंबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद द्वारा अनुसूची के कालम (06) में उल्लेखित प्राधिकारी को उपरोक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची



भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
01	02	03	04	05	06	07
गरियाबंद	छुरा	पथर्री	153	0.50	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग गरियाबंद	टेंगनाही डोंगर जलाशय योजना अंतर्गत शीर्ष निर्माण कार्य हेतु
			154	0.82		
			156	1.22		
			177	0.20		
			178/2	0.75		
			179	0.11		
			180	0.51		
			182	0.80		
			183	0.92		
			187	0.92		
			456/1	0.30		
			456/2	0.30		
			456/3	0.31		
			457	1.00		
			461/1	1.50		
461/2	0.26					

गरियाबंद	छुरा	पथरी	461/3	0.09	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग गरियाबंद	टेंगनाही डोंगर जलाशय योजना अंतर्गत शीर्ष निर्माण कार्य हेतु
			461/4	0.23		
			575	0.18		
			577	1.14		
			578	0.61		
			580	0.05		
योग:- कुल खसरा नंबर 22 कुल रकबा 12.74 हेक्टेयर						

- 02/- यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल/उपयुक्तता/लोक प्रयोजन के औचित्य/सामाजिक समाघात निर्धारण के बारे में अपना दावा-आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।
- 03/- भूमि का नक्शा/प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ0ग0) के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- 04/- प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।
- 05/- प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।
- 06/- प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ0ग0) को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

  
भू-अर्जन अधिकारी  
गरियाबंद

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा  
आदेशानुसार


  
(श्याम धावडे)  
कलेक्टर गरियाबंद  
 एवं पदेन उप सचिव छ0ग0 शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ.क./  
प्रतिलिपि :-

/भू-अर्जन/2019

गरियाबंद दिनांक 4/10/19

1. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय छत्तीसगढ़, राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-1 में तत्काल प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
2. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग गरियाबंद को सूचनार्थ एवं अधिसूचना का प्रकाशन 02 स्थानीय समाचार पत्र में कराकर प्रकाशन की प्रति तत्काल अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं सह भू-अर्जन अधिकारी गरियाबंद को उपलब्ध करावें।
3. प्रभारी अधिकारी, (एन.आई.सी.) जिला-गरियाबंद को सूचनार्थ। कृपया इस अधिसूचना को स्थानीय वेबसाईड पर अपलोड करें।
4. तहसीलदार छुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया जिला अनुविभाग कार्यालय एवं संबंधित ग्राम पंचायत/प्रभावित क्षेत्र में ऐसी रिति जैसे मुनादी कराने/जो विहित हो सूचना दिया जाकर रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें।
5. सचिव, ग्राम पंचायत नवापारा(को.), तहसील-छुरा को उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत के सूचना पटल में कराने हेतु सूचनार्थ।

  
अनुविभागीय अधिकारी(रा0) एवं  
सह भू-अर्जन अधिकारी  
गरियाबंद